क्यूआर कोड की केवाईसी के नाम पर 2.20 लाख का लोन निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार

दैनिक भास्कर दूत/विश्वजीत तिवारी-

बलरामपुर। थाना गौरा चौराहा पुलिस ने क्यूआर कोड की ऑनलाइन केवाईसी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर पीड़ित के नाम से 2 लाख 20 हजार रुपये का लोन निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 1,950 रुपये नकद तथा पीड़ित का आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार, ग्राम लिलवा निवासी अजीबुर्रहमान ने थाना गौरा चौराहा में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रदीप कुमार पाण्डेय अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और खुद को भारतपे का एजेंट बताते हुए क्यूआर कोड की ऑनलाइन केवाईसी कराने की बात कही। आरोप है कि इसी बहाने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल लेकर फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाया गया और उसके नाम से 2.20 लाख रुपये का लोन निकाल लिया गया।
शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर

पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण में थाना गौरा चौराहा पुलिस ने आरोपी प्रदीप कुमार पाण्डेय निवासी लक्ष्मनपुर, थाना कोतवाली देहात को 13 सितंबर को नारायनपुर मझारी जाने वाली सड़क के मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के नाम से लोन निकालने और रकम मोबाइल के जरिए निकालने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक आरोपी को इसमें से 20 हजार रुपये मिले थे, जिसमें से खर्च करने के बाद 1,950 रुपये बरामद हुए।पुलिस ने आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय रवाना कर दिया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दुर्विजय, उपनिरीक्षक डिग्री प्रसाद गौतम, कांस्टेबल प्रेम प्रकाश यादव और कांस्टेबल आकाश राजपूत शामिल रहे।